बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014;

संख्या– FC- 443

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 22/05/2020

विषय– श्रीमती अल्का सिंह द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत प्लॉट संख्या–105, खाता संख्यसा–533 (पु) पर देहरी–राजपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.008145 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्लॉट संख्या–105, खाता संख्यसा–533 (पु) पर देहरी–राजपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.08145 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु श्रीमती अल्का सिंह, पति–श्री अभिषेक कुमार सिंह, ग्राम–खपरा, पोस्ट+थाना–सकोरहीगोला, जिला–रोहतास का प्रस्ताव वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के पत्रांक 1427, दिनांक 23.11.2019 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के पत्रांक 1225, दिनांक 20.05.2020 द्वारा त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–189ई., दिनांक 16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व, पथ निर्माण विभाग का है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.008145 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में FRA 2006 प्रमाण–पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के प्रपत्र– II में अंकित किया गया है प्रस्तावित स्थल पर तीन वृक्ष उपलब्ध है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सासाराम के पत्रांक 1225, दिनांक 20.05.2020 द्वारा तीन वृक्षों के पातन के संबंध में सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक है। चूँकि तीनों वृक्ष यूकेलिप्ट्स प्रजाति के है तथा इनका प्रतिस्थापन परियोजना स्थल से अन्यत्र करना उचित नहीं है। साथ ही तीन वृक्षों के पातन की अनुमति की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहातास वन प्रमंडल, सासाराम द्वारा की गयी है।

इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में तीन वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम द्वारा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.0 से 0.4 अंकित किया गया है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आस–पास कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के प्रपत्र–II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

(ii) वानस्पतिक घनत्व को 0.4 मानते हुए अपयोजित होने वाली वन भूमि 0.008145 हे० के लिए नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 6,541/– (छः हजार पाँच सौ एकतालीस रूपये मात्र) प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।

(v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC- 443 दिनांक– 22/05/2020

प्रतिलिपि : श्रीमती अल्का सिंह, पति–श्री अभिषेक कुमार सिंह, ग्राम–खपरा, पोस्ट+थाना–सकोरहीगोला, जिला–रोहतास, पिन–821301 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.5.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

III.	Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks. (While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).	The proposed diversion of 0.008145 ha of forest land being parcel of roadside land on Dehari-Rajpur Road notified as protected forests for providing approach for entry and exit pathways to Retail Outlet of M/s. BPCL owned by Smt. Alka Singh is recommended with the stipulations and conditions mentioned in the forwarding letter no.- FC-443 dated 22/05/2020

Date : 22/05/2020 Signature -

Place : Patna. Name & Designation -

(Official Seal)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना

22.5.2020

Rakesh Kumar, IFS
APCCF (CAMPA)-cum-
Nodal Officer (FC), Bihar.